

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 30/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
 सेंटरम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी सतवीर सिंह चौहान
 पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर 801, सेंटरम हाऊस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग,
 कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुम्बई-400098

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. BHOLA RAM S/O POORAN MAL
2. SUMAN DEVI
3. HAJRI LAL
4. POORAN MAL S/O BODU RAM GURJAR GRAM PANCHAYAT
 DEEPAWAS P.S. AJEETGARH TEHSIL NEEM KA THANA DIST
 SIKAR 332705

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
 financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 4 क्रमशः **BHOLA RAM S/O POORAN MAL, SUMAN DEVI, HAJRI LAL AND POORAN MAL S/O BODU RAM GURJAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **PATTA NO 5 DHANI HOLAKALI G.P. DEEPAWAS P.S. AJEETGARH TEHSIL NEEM KA THANA DIST SIKAR 332705** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **128.44 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में **SELF BROTHER'S**

५

(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

LAND, पश्चिम दिशा में AAM RASTA AFTER SELF CHOK, उत्तर दिशा में AAM RASTA एवं दक्षिण दिशा HOUSE OF MOTI AFTER STREET का भूखण्ड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹7,64,337 /- (अक्षरे रूपये सात लाख चौसठ हजार तीन सौ सैंतीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.06.2025 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।



3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 03.06.2025 के धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 4 क्रमशः **BHOLA RAM S/O POORAN MAL, SUMAN DEVI, HAJRI LAL AND POORAN MAL S/O BODU RAM GURJAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **PATTA NO 5 DHANI HOLAKALI G.P. DEEPAWAS P.S. AJEETGARH TEHSIL NEEM**

१
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

KA THANA DIST SIKAR 332705 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 128.44 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में SELF BROTHER'S LAND, पश्चिम दिशा में AAM RASTA AFTER SELF CHOK, उत्तर दिशा में AAM RASTA एवं दक्षिण दिशा HOUSE OF MOTI AFTER STREET का भूखण्ड स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर